

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

निदेशक, कृ अनु प -के मा शि सं , मुंबई " कृ अनु प -के मा शि सं के लिए वाहनों की निविदा किराये पर लेने" के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। मुंबई" वेबसाइट के माध्यम से: www.eprocure.gov.in प्रतिष्ठित फर्मों से एकल बोली प्रणाली के तहत नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार:

निविदा विवरण**1 निविदा आईडी**

2 निविदा जारी करने की शुरुआत : 12 अक्टूबर 2023 डाउनलोड करें

3 जमा करने की अंतिम तिथि : निविदा 01 नवंबर 2023

4 प्री-बिड मीटिंग : 17 अक्टूबर 2023

5 बोली-पूर्व बैठक स्थल : आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई

6 तकनीकी बोली खोलना : आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई

7 निविदा खोलने का तरीका खुला

8 निविदा प्रकार सेवाएँ

9 निविदा श्रेणी प्रकार सेवाएँ

10 प्रकार की बोली : एकल (तकनीकी एवं वाणिज्यिक)

11 निविदा वैधता : 180 दिन

12 जमा की गई ईएमडी (रुपये में): रु.(INR)-12500/-

13 आपूर्ति का स्थान : आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई

ह .

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

महत्वपूर्ण बातें

1. निविदा दस्तावेज भाकृ अनु प –के मा शि सं वेबसाइट <https://www.cife.edu.in> या सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.eprocure.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोलीदाताओं को इसमें नामांकन/पंजीकरण करना चाहिए। वेबसाइट के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल का ई-खरीद मॉड्यूल: www.eprocure.gov.in। ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए बोलीदाताओं के पास वैध डीएससी भी होनी चाहिए।
 2. केवल ई-टेंडरिंग पोर्टल पर प्राप्त बोलियों पर ही विचार किया जाएगा। सीलबंद लिफाफे/ईमेल/पोस्ट/फैक्स आदि के माध्यम से भेजी गई किसी अन्य रूप में बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी।
 3. निदेशक कृ अनु प –के मा शि सं , मुंबई बिना कोई कारण बताए किसी भी/सभी निविदाओं को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 4. कृ अनु प –के मा शि सं बोलीदाता के रूप में नामांकन/पंजीकरण या ई-निविदा पोर्टल पर प्रस्ताव जमा करने/अपलोड करने में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए, बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-टेंडरिंग वेबसाइट www.eprocure.gov.in पर पंजीकरण करें और अपना डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र नामांकित करें और अपना कोटेशन पहले ही अपलोड कर दें।
 5. इस निविदा के संबंध में कोई भी परिवर्तन, शुद्धिपत्र आदि केवल केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल www.eprocure.gov.in पर जारी किया जाएगा। इसलिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से विजिट करें <https://www.cife.edu.inwebsite/> केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल www.eprocure.gov.in। अपडेट के लिए।
 6. बयाना राशि जमा (ईएमडी): ईएमडी की राशि रु. 12500/- (केवल बारह हजार पांच सौ रुपये)। डिमांड ड्राफ्ट "आईसीएआर यूनिट सीआईएफई" के पक्ष में मुंबई पर देय होगा। बयाना राशि जमा करने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। यदि आपकी फर्म एमएसएमई/एनएसआईसी आदि पर पंजीकृत है तो छूट प्रमाण पत्र जमा कर दिया गया है।
- ध्यान दें: ईएमडी लिफाफे को सीलबंद लिफाफे में जमा किया जाना चाहिए, जिस पर "आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई के लिए वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए और इसे संबोधित किया जाना चाहिए: निदेशक, आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ एडुकेशन (सीआईएफई), पंच मार्ग, ऑफ यारी रोड, वसोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400 061 ईएमडी वाले ये लिफाफे बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए।

ह /-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

कृ अनु प - केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान

(समतुल्य विश्वविद्यालय) (यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय),

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

पंच मार्ग, ऑफ. यारी रोड, वसोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 400 061

दूरभाष. नंबर 022-26361446/7/8 वेब साइट: <https://www.cife.edu.in>

जीएसटी नंबर 27AAAAI1830P9ZB

अनुक्रमणिका

संख्या	विवरण	पेज नं.
1	निविदा अनुसूची एवं महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	1-2
2	खंड-I	
	निविदाकर्ताओं को निर्देश	4-5
3	खंड-II	
	अनुबंध की सामान्य शर्तें	6-11
4	खंड-III	
	अनुबंध की शर्तें	12-12
5	खंड-IV	
	तकनीकी बोली और वित्तीय बोली	13-14
6	परिशिष्ट (I&II)	15-16
7	तकनीकी विशिष्टता	17-18

(समतुल्य विश्वविद्यालय) (यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय),

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

पंच मार्ग, ऑफ। यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 400 061

दूरभाष. नंबर 022-26361446/7/8 वेब साइट: <https://www.cife.edu.in>

जीएसटी नंबर 27AAAAI1830P9ZB

खंड-I

निविदाकर्ताओं को निर्देश

1. निविदा दस्तावेज आईसीएआर-सीआईएफई वेबसाइट <https://www.cife.edu.in> या सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.eprocure.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोलीदाताओं को इसमें नामांकन/पंजीकरण करना चाहिए। वेबसाइट के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल का ई-खरीद मॉड्यूल: www.eprocure.gov.in। ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए बोलीदाताओं के पास वैध डीएससी भी होनी चाहिए।
2. केवल ई-टेंडरिंग पोर्टल पर प्राप्त बोलियों पर ही विचार किया जाएगा। सीलबंद लिफाफे/ईमेल/पोस्ट/फैक्स आदि के माध्यम से भेजी गई किसी अन्य रूप में बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी।
3. निविदा की वैधता केवल 180 दिनों के लिए है।
4. उद्धृत दरें 1 वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए।
5. यदि कोई कर लागू हो तो उसका शीघ्र उल्लेख किया जाना चाहिए; ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उद्धृत दरों में सभी कर शामिल हैं।
6. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. ईएमडी की राशि रु. 12,500/- (बारह हजार पांच सौ रुपये मात्र)। डिमांड ड्राफ्ट "आईसीएआर यूनिट सीआईएफई" के पक्ष में मुंबई में देय होगा। बयाना राशि जमा करने में विफलता पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
8. वाहन किराये पर लेने के बाद ही भुगतान पूरी मात्रा में और निर्धारित विवरण के अनुसार किया जाएगा।
9. 100 रुपये के स्टॉप पेपर पर सीआईएफई के साथ सफल निविदा अनुबंध समझौता।

10. सफल निविदाकर्ता किसी अन्य ठेकेदार को अनुबंध हस्तांतरित नहीं करेगा।
11. भुगतान केवल आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किया जाएगा।
12. कोई आंशिक भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।
14. निदेशक, सीआईएफई के पास किसी भी निविदा को स्वीकार न करने का कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, चाहे न्यूनतम दर हो या नहीं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या इसके अंतर्गत आने वाले संस्थानों द्वारा दिए गए ठेकों पर लागू अनुबंध की सामान्य शर्तें

खंड-II

अनुबंध की सामान्य शर्तें

1. परिभाषाएँ एवं व्याख्याएँ:

(1) अनुबंध में इसे नियंत्रित करने वाली सामान्य और विशेष शर्तें, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो:

(ए) "निविदा की स्वीकृति" का अर्थ है ठेकेदार को उसकी निविदा की स्वीकृति के बारे में ज्ञापन संचार पत्र और इसमें उसकी निविदा की अग्रिम स्वीकृति शामिल है।

(बी) "कंसाइनी" का अर्थ उन व्यक्तियों से है जिन्हें निविदा की स्वीकृति के अनुसार उसमें निर्दिष्ट तरीके से सामान वितरित करना आवश्यक है।

(सी) "अनुबंध" का अर्थ है निविदा आमंत्रण; निविदाओं के लिए निर्देश, निविदाओं की निविदा स्वीकृति, विवरण और निविदा की स्वीकृति में निर्दिष्ट सामान्य और विशेष शर्तें और इसमें एक दोहराव आदेश भी शामिल है जिसे ठेकेदार द्वारा स्वीकार किया गया है या उस पर कार्रवाई की गई है।

(डी) "ठेकेदार" का अर्थ वह व्यक्ति है जिसके साथ अनुबंध किया गया है और इसमें उसके उत्तराधिकारी भी शामिल हैं। निष्पादक के प्रशासक या उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी, जैसा भी मामला हो।

(ई) "ड्राइंग" का अर्थ अनुसूची या विशिष्टता में निर्दिष्ट या संलग्न ड्राइंग या चित्र है।

(एफ) "परिषद" का अर्थ इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है।

(जी) "इंस्पेक्टर" का अर्थ अनुबंध के तहत काम के भंडार के निरीक्षण के उद्देश्य से अनुबंध में निर्दिष्ट व्यक्ति है और इसमें उसका अधिकृत प्रतिनिधि भी शामिल है।

(ज) "सामग्री" का अर्थ भंडार के निर्माण या निर्माण में उपयोग की जाने वाली कोई भी चीज़ है।

(i) विवरण में शामिल हैं:-

(i) तकनीकी विशिष्टताएँ

(ii) ड्राइंग

(iii) निरीक्षक की मुहर और हस्ताक्षर वाला पैटर्न (जिसे इसके बाद सीलबंद पैटर्न कहा जाएगा) जिसमें निरीक्षक के मार्गदर्शन के लिए क्रेता द्वारा सील की गई प्रमाणित प्रति भी शामिल होगी।

(iv) निरीक्षक के मार्गदर्शन के लिए क्रेता द्वारा सील किया गया नमूना प्रमाणित नमूना कहा जाता है) जिसमें उसकी प्रमाणित प्रति शामिल होगी।

(v) व्यापार पैटर्न, यानी एक पैटर्न, जिसके अनुरूप स्टोर खुले बाजार में प्राप्य हैं और जो भारतीय मानक संस्थान या अन्य मानकीकरण प्राधिकरण या उद्योग के एक सामान्य मानक के मानक को दर्शाते हैं;

(vi) मालिकाना चिह्न या ब्रांड का अर्थ किसी उत्पाद का चिह्न या ब्रांड है जिसका स्वामित्व किसी औद्योगिक फर्म के पास है;

(vii) अनुबंध द्वारा निर्धारित दुकानों के निर्माण, निर्माण या आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य विवरण;

(जे) "क्रेता अधिकारी" का अर्थ है निविदा की स्वीकृति पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी और इसमें कोई भी अधिकारी शामिल है जिसके पास क्रेता की ओर से प्रासंगिक अनुबंध निष्पादित करने का अधिकार है। (के) "क्रेता" का अर्थ है निविदा की स्वीकृति की अनुसूची में नामित क्रेता

& में उसके उत्तराधिकारी या नियुक्त व्यक्ति शामिल हैं;

(एल) (i) "सचिव" का अर्थ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सचिव है और इसमें परिषद का या परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किसी अन्य निकाय, संस्थान या संगठन का कोई अन्य अधिकारी शामिल है जिसे फिलहाल अधिकृत किया गया है क्रेता की ओर से दुकानों की खरीद से संबंधित प्रासंगिक अनुबंध निष्पादित करना।

(ii) निदेशक का अर्थ आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, वर्सोवा, मुंबई, भारत के निदेशक से है।

(एम) "अनुसूची" का अर्थ निविदा की स्वीकृति के साथ संलग्न अनुसूची है।

(एन) "हस्ताक्षरित" में मुद्रांकित शामिल है, निविदा की स्वीकृति या उसके किसी भी संशोधन के मामले को छोड़कर।

(ओ) "साइट" का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट वह स्थान है जहां ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत किसी भी कार्य को निष्पादित करना आवश्यक है या इस उद्देश्य के लिए सचिव/निदेशक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य स्थान।

(पी) "स्टोर" का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट सामान है जिसे ठेकेदार अनुबंध के तहत आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ है।

(क्यू) "आपूर्ति आदेश" का अर्थ दुकानों की आपूर्ति के लिए एक आदेश है और इसमें प्रदर्शन या सेवा के लिए एक आदेश शामिल है।

(आर) "परीक्षण" का अर्थ है ऐसा परीक्षण जो विवरण द्वारा निर्धारित किया गया है या निरीक्षक द्वारा आवश्यक माना गया है, चाहे वह निरीक्षक या निरीक्षक के निर्देशन में कार्य करने वाली किसी एजेंसी द्वारा किया या कराया गया हो।

(एस) "इकाई" और "मात्रा" का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट इकाई और मात्रा है

(टी) 'लेखन' में संपूर्ण या आंशिक रूप से, पांडुलिपि में, टाइप किए गए लिथोग्राफ, साइक्लोस्टाइल, या मुद्रित, या जैसा भी मामला हो, हस्ताक्षर या मुहर के तहत सामग्री शामिल है;

(यू) इंस्पेक्टर की मंजूरी के बाद, अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्टोर की डिलीवरी पर डिलीवरी हुई मानी जाएगी:-

- (i) परेषिती अपने परिसर में या
- (ii) गंतव्य स्टेशन पर भंडार की डिलीवरी के लिए निर्धारित अनुबंध के मामले में गंतव्य स्टेशन पर कंसाइनी।

(v) में शब्दों में एकवचन अथवा बहुवचन और इसके प्रतिक्रम रूप भी शामिल है।

पुल्लिंग लिंग को आयात करने वाले शब्दों को स्त्री लिंग और शब्द आयात करने वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए किसी भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों के निकाय को शामिल किया जाएगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

(x) इन शर्तों का शीर्षक उनकी व्याख्या या निर्माण को प्रभावित नहीं करेगा।

(वाई) यहां परिभाषित नहीं किए गए नियमों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें वस्तु अधिनियम, 1930 या भारतीय अनुबंध अधिनियम की बिक्री में दिया गया है। 1872 या सामान्य खंड अधिनियम 1897, जैसा भी मामला हो।

2. (ए) पार्टियाँ:

अनुबंध के पक्ष ठेकेदार और क्रेता हैं, जिनका नाम अनुसूची में दिया गया है।

(बी) ठेकेदार की ओर से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का प्राधिकार:

ऐसा करने के अपने अधिकार का खुलासा किए बिना ठेकेदार की ओर से अनुबंध के संबंध में निविदा या किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह माना जाएगा कि उसके पास ठेकेदार को बाध्य करने का अधिकार है। यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास कोई नहीं है

ऐसा करने का अधिकार. निदेशक क्रेता के उपचार के किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुबंध रद्द कर सकता है और ऐसे व्यक्ति के जोखिम और लागत पर स्टोर बनाने या खरीदने का अधिकार दे सकता है और ऐसे व्यक्ति को सभी लागतों के लिए क्रेता के प्रति उत्तरदायी ठहरा सकता है और

अनुबंध के रद्द होने से होने वाली क्षति, जिसमें ऐसी खरीद के कारण क्रेता को होने वाली कोई हानि भी शामिल है। खंड 14 के प्रावधान ऐसी प्रत्येक खरीद पर लागू होंगे।

(सी) ठेकेदार का पता और क्रेता की ओर से नोटिस और संचार:

(i) अनुबंध के सभी प्रयोजनों के लिए, इसके तहत मध्यस्थता सहित, निविदा में उल्लिखित ठेकेदार का पता वह पता होगा जिस पर ठेकेदार को संबोधित सभी संचार भेजे जाएंगे, जब तक कि ठेकेदार ने एक अलग से परिवर्तन की सूचना नहीं दी हो और पत्र जिसमें कोई अन्य संचार नहीं है निदेशक, सीआईएफई के कारण पंजीकृत डाक पावती द्वारा भेजा गया है। उपरोक्त तरीके से पते में परिवर्तन को सूचित करने में चूक के परिणाम के लिए ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेदार होगा

(ii) अनुबंध में छूट के लिए क्रेता की ओर से कोई भी संचार या नोटिस क्रेता अधिकारी द्वारा ठेकेदार को जारी किया जा सकता है और ऐसे सभी संचार और नोटिस ठेकेदार को या तो पंजीकृत डाक से या प्रमाण पत्र के तहत पोस्टिंग या साधारण द्वारा भेजे जा सकते हैं। ऐसे अधिकारी के विकल्प पर डाक से या हाथ से डिलीवरी।

3. सचिव/निदेशक का प्राधिकार:

इसके तहत मध्यस्थता कार्यवाही सहित अनुबंध के सभी उद्देश्यों के लिए, सचिव आईसीएआर/निदेशक सीआईएफई क्रेता को सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने के हकदार होंगे।

4. भ्रष्ट आचरण:

(i) ठेकेदार क्रेता के रोजगार में या सचिव/निदेशक के आदेश के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने या न करने के लिए प्रलोभन या इनाम के रूप में किसी भी प्रकार का कोई उपहार या विचार नहीं देंगे या देने के लिए सहमत नहीं होंगे। काउंसिल/सीआईएफई (आईसीएआर) मुंबई के साथ अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में कोई कार्य करना या किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या प्रतिकूलता दर्शाने के लिए मारपीट करना।

काउंसिल/सीआईएफई (आईसीएआर) मुंबई के साथ अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध के संबंध में ठेकेदार, या उसके द्वारा नियोजित या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा (चाहे ठेकेदार की जानकारी के साथ या उसके बिना) उपरोक्त शर्तों का कोई उल्लंघन या ठेकेदार द्वारा या उसके द्वारा नियोजित या कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाना भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX के तहत उनकी ओर से 1860 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1974 या लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अधिनियमित कोई अन्य अधिनियम सचिव/निदेशक को अनुबंध और सभी या किसी भी रद्द करने का अधिकार देगा।

खंड 14 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे रद्दीकरण से होने वाली हानि।

(ii) व्याख्या प्रभाव या अनुप्रयोग के संबंध में सम्मान का कोई भी विवाद

उपरोक्त शर्त या उसके तहत क्रेता द्वारा वसूली योग्य राशि की

ठेकेदार का निर्णय महानिदेशक, भारतीय कृषि परिषद द्वारा किया जाएगा

अनुसंधानकर्ता या उसका नामांकित व्यक्ति जिसका उस पर निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा

ठेकेदार.

5. दिवालियापन और अनुबंध का उल्लंघन:

सचिव/निदेशक किसी भी समय, लिखित नोटिस द्वारा, संक्षेप में समाप्त कर सकते हैं

निम्नलिखित में से किसी भी घटना में ठेकेदार को मुआवजे के बिना अनुबंध करना है

कहना: -

(i) यदि ठेकेदार सौम्य व्यक्ति है या फर्म है तो उसका कोई भी भागीदार किसी भी समय शोधनक्षमता में समायोजित या प्रशासन के लिए एक प्राप्ति आदेश होगा।

उसके विरुद्ध किये गये प्राक्कलन का अथवा उसके अंतर्गत संयोजन हेतु कोई कार्यवाही करेगा

फिलहाल लागू कोई भी दिवाला अधिनियम या कोई हस्तांतरण या असाइनमेंट करना अपने प्रभाव का या अपने प्रभाव की किसी व्यवस्था में प्रवेश करना या उसके क्रेडिट के साथ संयोजन या भुगतान साझेदारी अधिनियम, या निलंबित के तहत भंग किया जा सकता है

(ii) यह ठेकेदार एक कंपनी होने के नाते स्वेच्छा से या अदालत के आदेश से बंद हो गया है

डिबेंचर धारकों की ओर से एक रिसीवर, परिसमापक या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है

ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी जो न्यायालय या डिबेंचर धारकों को इसका अधिकार देती हैं

एक रिसीवर, परिसमापक या प्रबंधक नियुक्त करें, या

(iii) यदि ठेकेदार इसमें विशेष रूप से प्रदान नहीं किए गए अनुबंध का कोई उल्लंघन करता है

इसके लिए: - बशर्ते कि ऐसा निर्धारण किसी भी सही कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा

उपाय जो क्रेता को उसके बाद किसी के लिए अर्जित होगा या अर्जित होगा

इस प्रकार अतिरिक्त व्यय किया जाता है, ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं करेगा

पुनर्खरीद पर किसी भी लाभ का हकदार।

6. मध्यस्थता:

इन शर्तों या किसी के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद की स्थिति में

अनुबंध की विशेष शर्तें, या इस अनुबंध के संबंध में (किसी भी मामले को छोड़कर)

जिसका निर्णय विशेष रूप से इन या विशेष शर्तों द्वारा प्रदान किया जाता है)

द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए गए अधिकारी की एकमात्र मध्यस्थता को संदर्भित किया जाएगा।

सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इसमें मध्यस्थता में कोई आपत्ति नहीं होगी।

सेवक/परिषद का सेवक जिसे उन मामलों से निपटना था जिनसे संबंधित

एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान अनुबंध से संबंधित है या सेवक/परिषद का विवाद या मतभेद वाले सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए हैं, का मध्यस्थ इस अनुबंध के पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ की मृत्यु की स्थिति में, कार्य करने से उपेक्षा करना या इंकार करना, या असमर्थ होने पर इस्तीफा देना किसी भी कारण से कार्य करना, या किसी भी कारण से न्यायालय द्वारा उसका पुरस्कार रद्द कर दिया जाना, सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त करना वैध है।

इस अनुबंध की आगे की शर्त यह है कि नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा

उपर्युक्तानुसार सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए

और यह कि, यदि किसी कारण से यह संभव नहीं है, तो मामले को मध्यस्थ के पास बिल्कुल भीनहीं भेजा जाना चाहिए।

मध्यस्थ समय-समय पर अनुबंध के सभी पक्षों की सहमति से अनुबंध को बढ़ा सकता है
पुरस्कार देने का समय.

ऐसे प्रत्येक और किसी भी संदर्भ पर, प्रासंगिक लागत का आकलन

संदर्भ और पुरस्कार क्रमशः मध्यस्थ के विवेक पर होंगे।

उपर्युक्त विषय, मध्यस्थता अधिनियम। 1940 और उसके तहत नियम और कोई वैधानिक

उसमें कुछ समय के लिए संशोधन को मध्यस्थ पर लागू माना जाएगा

धारा के तहत कार्यवाही.

यदि उचित रूप से संभव हो तो मध्यस्थता के दौरान अनुबंध के तहत कार्य जारी रहेगा

कार्यवाही और क्रेता को देय या भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी

ऐसी कार्यवाहियों का लेखा-जोखा.

मध्यस्थता का स्थान वह स्थान होगा जहां से स्वीकृति नोट जारी किया जाता है या

ऐसा अन्य स्थान जो उसके अपवित्रीकरण पर मध्यस्थ निर्धारित कर सकता है। इस खंड में

अभिव्यक्ति "सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद" का अर्थ सचिव है,

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फिलहाल और इसमें शामिल है, यदि नहीं

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वह अधिकारी जो फिलहाल हैं

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रशासनिक प्रमुख के अतिरिक्त

अन्य कार्य या अन्यथा।

खंड-III

अनुबंध की शर्तें

1. वाहन नया और अच्छी स्थिति में होना चाहिए।
2. समय और दूरी की गणना के मा शि सं से के मा शि सं तक की जानी चाहिए। पार्किंग और टोल टैक्स की प्रतिपूर्ति रसीद/वाउचर प्रस्तुत करने पर भुगतान की गई वास्तविक राशि के अनुसार की जाएगी।
3. किराये की अवधि के दौरान वाहनों को हुई किसी भी दुर्घटना या क्षति के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
4. जीएसटी और अन्य करों, यदि कोई हो, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उद्धृत दरों में सभी कर शामिल हैं।
5. वाहन को समय पर कार्यालय में रिपोर्ट करना चाहिए।
6. राष्ट्रीय परमिट या राज्य परमिट बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी है। संस्थान कोई परमिट शुल्क नहीं देगा।
7. वर्तमान अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे एजेंसी के प्रदर्शन के आधार पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।
8. अनुबंध की अवधि के दौरान उद्धृत दरें अपरिवर्तित रहेंगी।
9. किसी भी अस्पष्टता के मामले में, निदेशक, के मा शि सं, मुंबई का निर्णय अंतिम और सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
10. निदेशक, के मा शि सं के पास एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

खंड-IV

तकनीकी एवं मात्रा का बिल (वित्तीय बोली)

ए) तकनीकी बोली

ऑनलाइन बोलियाँ (सभी प्रकार से पूर्ण) नीचे बताए अनुसार ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए। तकनीकी बोली (निम्नलिखित दस्तावेज़ पीडीएफ फ़ाइल के रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए)

क्र.सं.	दस्तावेज़	सामग्री	फ़ाइल प्रकार
1		पैन और जीएसटी पंजीकरणदस्तावेजों की स्कैन कॉपी	पीडीएफ
2		निविदा शुल्क और बयाना राशि की स्कैन कॉपी	पीडीएफ
		डिमांड ड्राफ्ट पीडीएफ के माध्यम से तकनीकी बोली	
3		ईएमडी छूट के लिए प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी, यदि दावा कर रहे हैं.	पीडीएफ
4		पंजीकरण प्रमाणपत्र (फॉर्म डी:मोम्बे शॉप और स्थापना अधिनियम-1948 या समकक्ष)	पीडीएफ
6		अनुभव प्रमाण पत्र पीडीएफ की स्कैन कॉपी	पीडीएफ
7		ग्राहक सूची पीडीएफ की स्कैन कॉपी	पीडीएफ
9		अनुलग्नक I और II पीडीएफ की स्कैन कॉपी	पीडीएफ
10		अन्य दस्तावेजों की स्कैन कॉपी	पीडीएफ

वाणिज्यिक बोली (निम्नलिखित दस्तावेज़ एक्सेल फ़ाइल के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा)

- 1 वित्तीय बोली मूल्य बोली (बीओक्यू) एक्सेल प्रारूप एक्सएलएस में भरी जाएगी सभी दस्तावेज़ों और बीओक्यू पर बोली लगाने वाले को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना होगा।

बी) वित्तीय बोली

टिप्पणी:

(1) मदवार राशि उद्धृत करने से पहले, बोलीदाताओं को तकनीकी विवरण पढ़ने का निर्देश दिया जाता है

विनिर्देशन को निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित अनुसार क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

(2) निदेशक आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई के पास मॉडलों की मात्रा बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है

बिना कोई कारण बताए आंशिक/पूर्ण संख्या

ठेकेदारों द्वारा हस्ताक्षरित एक वचन पत्र

निदेशक

भाकृ अनु प -केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान

(समतुल्य विश्वविद्यालय,)

पंच मार्ग, यारी रोड से दूर, अंधेरी (पश्चिम)

मुंबई-400061

प्रिय महोदय,

1. मैंने/हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके अंतर्गत अनुसंधान संस्थानों द्वारा रखे गए अनुबंधों को कवर करने वाले अनुबंध की सामान्य शर्तों में शामिल निविदा दस्तावेज़, भुगतान के तरीके, अनुबंध और अनुबंध की शर्तों के निर्देशों को समझा/समझा है।

अनुबंध की शर्तों और उसकी अनुसूची में उद्धृत विनिर्देश ड्राइंग और/या पैटर्न की पूरी तरह से जांच की है और/आवश्यक दुकानों की प्रकृति से पूरी तरह अवगत हैं और मेरा/हमारा प्रस्ताव सख्ती से आवश्यकताओं के अनुसार दुकानों की आपूर्ति करना है।

2. यदि हमारी निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो हम निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार सुरक्षा जमा राशि जमा करेंगे।

3. जब तक कोई समझौता तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक आपकी लिखित स्वीकृति के साथ निविदा, हमारे बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, लेकिन ऐसी स्वीकृति को वापस लेने के आपके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

4. हम समझते हैं कि आप सबसे कम या प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

5. हम निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से सहमत और स्वीकार करते हैं।

हम अनुबंध की शर्तों के सभी नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए भी सहमत हैं।

दिनांक:

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

(टिकट)

अनुलग्नक-॥

कंपनी का पता, बैंक का विवरण, समन्वयक और ईएमडी के लिए संपर्क करें

ए. कंपनी का पता विवरण:

कंपनी का नाम :

पता :

पिन कोड :

राज्य :

फोन नंबर। :

फ़ैक्स नहीं। :

ईमेल आईडी। :

स्थापना वर्ष :

कानूनी स्थिति: स्वामित्व/निजी/साझेदारी/सरकारी/अन्य

व्यवसाय की प्रकृति :

बी. बैंक विवरण:

बैंक का नाम :

शाखा का नाम :

शाखा पता :

शाखा क्रमांक :

खाता संख्या :

आईएफएससी कोड:

एमआईसीआर संख्या:

सी. समन्वयक के लिए संपर्क व्यक्ति:

व्यक्ति का नाम :

पद का नाम :

संपर्क नंबर। :

ईमेल आईडी :

डी. ईएमडी का विवरण:

क्रम सं. विशेष बैंक का नाम डीडी। क्रमांक डीडी दिनांक

1 ईएमडी (रु.)

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

तकनीकी विशिष्टताएँ वाहनों को किराये पर लेने के लिए दर अनुबंध (2023-24)

ए) केवल मुंबई शहर में स्थानीय यात्राएं:-

(वर्सोवा से विरार, कोलाबा, नई मुंबई, वाशी और मुंबई में कोई भी अन्य शहरी संकुलन)

एसएन वाहन मारुति

डिज़ायर/

इंडिगो/

समकक्ष

टवेरा/

कालिस/

समकक्ष

टोयोटा

इनोवा/

समकक्ष

20 से 25 सीटें

मिनी बस

45 से 49 सीटें

बस

(एसी) (एसी) (एसी) (एसी) नॉनएसी

(एसी) नॉनएसी

18 घंटे और 80

किलोमीटर भीतर

मुंबई शहर

2 अतिरिक्त प्रति किमी

80 किलोमीटर से ऊपर.

3 रात भर

कैद

शुल्क यदि

रात भर किराये पर लें.

4 ड्राइवर भत्ता

यह रात भर काम पर रखता है

प्रति घंटे 5 अतिरिक्त

8 घंटे से ऊपर.

आधे के लिए 6 शुल्क

दिन (यानी 4 घंटे और

40 किलोमीटर होना है

आधे के रूप में माना जाता है

दिन।

बी) आउट स्टेशन यात्राएं (अर्थात मुंबई शहर से बाहर)

एसएन वाहन मारुति

डिज़ायर/

इंडिगो/

समकक्ष

टवेरा/

कालिस/

समकक्ष

टोयोटा

इनोवा/

समकक्ष

20 से 25 सीटें

मिनी बस

45 से 49 सीटें

बस

(एसी) (एसी) (एसी) (एसी) नॉनएसी

(एसी) नॉनएसी

1 न्यूनतम

बाहर के लिए शुल्क

स्टेशन यात्रा प्रति

दिन।

2 प्रति किलोमीटर ओवर और

300 किमी से ऊपर.

3 आउट स्टेशन

ड्राइव भत्ता

प्रति दिन।

4 रात भर

कैद

शुल्क प्रति

रात।

भा कृ अनु प - केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (डीमड विश्वविद्यालय) (यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पंच मार्ग, ऑफ. यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 400 061 ,दूरभाष. नंबर 022-26361446/7/8 वेब साइट: <https://www.cife.edu.in> जीएसटी नंबर 27AAAAI1830P9ZB

खरीद के लिए कोटेशन दस्तावेज़ हेतु अनुरोध

लेखापरीक्षा अनुभाग के लिए आईटी एवं स्टेशनरी सामग्री

राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना

निदेशक, भा कृ अनु प -केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान प्रतिष्ठित निर्माताओं, उनके अधिकृत वितरकों/डीलरों और अन्य आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों से प्लास्टिक के बर्तन, कांच के बर्तन और रसायनों की खरीद के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना "एनएचईपी" के तहत सीलबंद लिफाफे में सबसे प्रतिस्पर्धी कोटेशन आमंत्रित करते हैं। कोटेशन 29.12.2023 को अपराह्न 3.00 बजे या उससे पहले आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई में भा कृ अनु प -केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान , पंचमार्ग, ऑफ यारी

रोड, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400 061 को संबोधित एक बंद लिफाफे में पहुंच जाना चाहिए। । सीलबंद लिफाफे डाक/कूरियर द्वारा भेजे जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह नियत तिथि और समय के भीतर कार्यालय में पहुंच जाए। वैकल्पिक रूप से, सीलबंद लिफाफे में कोटेशन को कार्यालय में निविदा बॉक्स में डाला जा सकता है। ईमेल या खुले लिफाफे में प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

कोटेशन के नियम एवं शर्तें:

1. कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। प्रत्येक बोलीदाता को केवल एक उद्धरण प्रस्तुत करना होगा।

2. कच्चे माल और घटकों पर देय सभी शुल्क, कर और अन्य लेवी कुल कीमत में शामिल की जाएंगी।

3. कोई अग्रिम भुगतान या कोई आंशिक भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान आमतौर पर ऑर्डर के अनुसार अच्छी स्थिति में वस्तु/सामग्री की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाता है। भुगतान केवल वस्तु/उपकरण की संतोषजनक ढंग से स्थापना/चालू होने के बाद ही जारी किया जाएगा।

4. सफल फर्म को नाम के साथ बैंक खाता संख्या का उल्लेख करना होगा।

ऑर्डर की गई वस्तुओं की आपूर्ति के समय बिल में बैंक और उसका आईएफएससी कोड होना अपेक्षित है । भुगतान केवल आरटीजीएस/बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा।

5. विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्माता/डीलर को हमारे विनिर्देश के अनुसार समान उपकरण का केवल एक निर्माण और एक मॉडल उद्धृत करना चाहिए। फर्म को प्रासंगिक मुद्रित साहित्य द्वारा समर्थित अपना कोटेशन भी प्रस्तुत करना चाहिए।

6. कोटेशन जमा करने के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए कोटेशन वैध रहेगा।

7. रेट F.O.R पर आधारित होना चाहिए । संस्थान कोई रोड परमिट फॉर्म प्रदान नहीं करेगा ।

8. फर्म को सामग्री की उद्धृत राशि का 2.5% मूल्य की ईएमडी संलग्न करनी होगी। अपेक्षित मूल्य की ईएमडी का भुगतान न करने पर बिल अस्वीकृत हो जाएगा। हालाँकि, एनएसआईसी/एमएसएमई प्रमाणन वाली फर्मों को ईएमडी के भुगतान से छूट दी गई है।

9. आपूर्ति आदेश प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता को राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी एफडीआर/बैंक गारंटी आदि के रूप में प्रदर्शन/सुरक्षा जमा के रूप में आदेशित मूल्य का 3% (विशेष कर) जमा करना होगा।

10. डिलीवरी भा कृ अनु प -केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान , पंच मार्ग, ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400 061 में करनी होगी। यह आपूर्ति आदेश जारी होने की तारीख से 5 दिनों के भीतर या संस्थान द्वारा बढ़ाए जाने की अवधि के अनुसार होगी ।

11. किसी भी विवाद की स्थिति में, निदेशक, सीआईएफई का निर्णय ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/फैब्रिकेटर/फर्म के लिए बाध्यकारी होगा।

12. फर्म को आपूर्ति किए गए उपकरण/सामग्री पर वारंटी/गारंटी का पालन करना होगा और इस अवधि के दौरान किसी भी गलती/कमी को बिना किसी अतिरिक्त लागत के तुरंत संबोधित करना होगा।
13. डीलर को मुख्य आपूर्तिकर्ता/निर्माता से जारी प्राधिकार प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।
14. यदि लागू हो तो सभी करों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. सीआईएफई निदेशक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
16. विवाद, यदि कोई हो, केवल मुंबई क्षेत्राधिकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज:

1. पैन और जीएसटी पंजीकरण दस्तावेजों की स्कैन कॉपी।
2. एनएसआईसी/एमएसएमई प्रमाणपत्र, यदि कोई हो। अन्यथा मुंबई में देय आईसीएआरयूनिट सीआईएफई के पक्ष में अपेक्षित मूल्य की ईएमडी बोली के साथ जमा करनी होगी।
3. फर्म का पंजीकरण/निगम प्रमाण पत्र।
4. सभी अनुबंधों के साथ फर्म द्वारा हस्ताक्षरित आरएफक्यू की प्रति।
5. निर्माता से मूल निर्माता प्रमाणपत्र/अधिकृत वितरक प्रमाणपत्र आवश्यक है।
6. फर्म का बैंक खाता विवरण जिसमें संतोषजनक आपूर्ति एवं स्थापना के बाद भुगतान किया जाना है।

सहायक शासनिक अधिकारी (पी)

अनुबंध 1

ऑडिट अनुभाग के लिए कार्ट्रिज और ए/4 आकार के कागज की सूची

क्र.सं.	विवरण	मात्रा.
1.	HP 78A कार्ट्रिज	04 नग.
2.	CC388A कार्ट्रिज	10 नग.
3.	CE505A कार्ट्रिज	02 नग
4.	HP137A कार्ट्रिज	02 नग

5.	A/4 साइज फोटोकॉपियर पेपर	02 बॉक्स
6.	एक्सटर्नल एचडीडी (1टीबी)	07 नग
7.	पेन ड्राइव ओटीजी (64 जीबी)	03 नग
8.	पेन ड्राइव (64 जीबी)	10 नग
9.	वेब कैम	05 नग

बोली लगाने वालों की मुहर और हस्ताक्षर

अनुलग्नक-2

वित्तीय बोली

क्रमांक विवरण मात्रा दर राशि कर, यदि कोई

कुल राशि (रु.) सभी समावेशी संख्या दर राशि टैक्स (यदि कोई हो तो)
कुल राशि

1. HP 78A कार्ट्रिज	04 नग
2. CC388A कार्ट्रिज	10 नग
3. CE505A कार्ट्रिज	02 नग
4. HP137A कार्ट्रिज	02 नग

5. A/4 साइज फोटोकॉपियर पेपर 02 बॉक्स

6. एक्सटर्नल HDD (1TB) 07 नग

7. पेन ड्राइव OTG (64GB) 03 नग

8. पेन ड्राइव (64GB) 10 नग

9. वेब कैम 05 नग।

(रुपये.....

..... मात्र)

बोलीकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर